राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सार्वजनिक नोटिस

सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा के अधिकार पर जन सुनवाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जन स्वास्थ्य अभियान (सामाजिक संस्थाओं व संगठनों का नेटवर्क), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 18-19 नवंबर 2015 को मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार पर दो दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय जन सुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।

जन सुनवाई के दौरान ऐसे मामले, जिनमे व्यक्तियों/समूहों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओ में, या निजी अस्पतालों में, स्वास्थ्य सेवा के अधिकार की गंभीर अवहेलना का सामना करना पड़ा हो, या सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के, या सरकारी-निजी भागीदारी वाली स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ वाले मामले हों, इन सब की राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुनवाई की जाएगी ।

राजस्थान से वें व्यक्ति/समूह जिन्हे स्वास्थ्य अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को अनुभव हुआ किया है, और जो इस जन सुनवाई में भाग लेने को इच्छुक हैं, वे इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर अपनी सम्पूर्ण जानकारी के साथ यहा संपर्क कर सकते हैं – **जन स्वास्थ्य अभियान-राजस्थान, फ्लैट नंबर-202, 158 एस.बी.विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302019, राजस्थान / ई-मेल-** prayaschittor@gmail.com **/ फ़ोन- 0141-2290593**

उपयुक्त पाए गए मामलों को पेश करने वाले व्यक्तियों को जन सुनवाई के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएँ: www.nhrc.nic.in